

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-----

दिनांक-08.05.2025 को माननीय विभागीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अपर समाहर्ताओं/भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं/अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में अभियान बसेरा-2.0 की समीक्षा के क्रम में बगहा-2 अंचल अंतर्गत कुल सर्वेक्षित 1912 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 1709 को "अयोग्य" घोषित किये जाने के संबंध में श्री निखिल, अंचल अधिकारी, बगहा-02, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर अधिकांशतः को अयोग्य घोषित किया गया है। यद्यपि उनके द्वारा कर्मचारी के रिपोर्ट को सत्यापित किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। कतिपय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महादलित/दलित के आवेदनों पर भी यह अंकित कर अयोग्य घोषित किया गया है कि आवेदक सुयोग्य श्रेणी के नहीं हैं, जो परस्पर विरोधाभासी है। श्री निखिल द्वारा इस संबंध में किसी तरह की जाँच न कर केवल कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है। समर्पित अभियान बसेरा-2 के अस्वीकृत सूची एवं ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों में भिन्नता पाई गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री निखिल द्वारा अभियान बसेरा-2.0 जैसे राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण एवं जनकल्याणकारी योजना के प्रति उदासीनता, शिथिलता एवं लापरवाही बरती गई है तथा गलत एवं भ्रामक सूचना से विभाग को दिगभ्रमित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही श्री निखिल के अंचल अधिकारी, बगहा-2, पश्चिम चम्पारण में पदस्थापन अवधि के दौरान ऑनलाईन पोर्टल पर अद्यतन स्थिति/सूचना के अनुसार दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, जमाबंदी का आधार सिडिंग एवं अभियान बसेरा-02 में प्रगति प्रतिवेदन असंतोषजनक है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिये विभागीय संकल्प संख्या-742(15), दिनांक-14.05.2025 द्वारा श्री निखिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये निलंबन अवधि के लिये मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री निखिल से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री निखिल के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1791(15), दिनांक-26.09.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी, जिसका जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-13888 दिनांक-21.07.2023 के कंडिका-5 (iii) के आलोक में बिहार राजस्व सेवा के निलंबित पदाधिकारियों, जिनकी निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक है, के विरुद्ध प्रतिवेदित/गठित आरोप की प्रकृति को देखते हुए निलंबन मुक्त किये जाने के संबंध में दिनांक-27.07.2026 को समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी।

5. समीक्षात्मक बैठक में श्री निखिल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बगहा-2, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभाग स्तर से अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु मामला प्रक्रियाधीन रहने, निलंबन अवधि एवं आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निलंबन से मुक्त किये जाने तथा संवेदनशील पदों पर पदस्थापित नहीं किये जाने की अनुशंसा की गयी है, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री निखिल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बगहा-2 सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्ति के पश्चात् श्री निखिल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर /कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर/श्री निखिल, निलंबित अंचल अधिकारी मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री निखिल को निदेशित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023

1394 (15)/रा0, पटना-15, दिनांक-28/08/26

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति) आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।